मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राजकुमार उर्फ राजेन्द्र बनाम स्टेट आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 332/2021

निर्णय दिनांक :– 11-11-2021

वादी की ओर से वकील सुनील बेनीवाल की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील राजपेरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही चक 8752 के खाता सं. 35/99 के मु. नं. 132 के किला नं. 3, 8, 9, 12 कुल 0.8220 है बारानी खातेदारी वादी सं. 1 राजकुमार पुत्र रोहताश व वादी सं. 2 रामप्रसाद पुत्र रोहताश जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में राजकुमार पुत्र रोहताश के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रोहताश व वादी सं. 2 रामप्रसाद पुत्र रोहताश के स्थान पर रामू पुत्र रोहताश जाति मेघवाल निवासी जोगीवाला किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ता[illegible] व [illegible]ालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.29 10:33:35 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
प्र.ग. के संग 2021
कैम्प

Scanned with CamScanner